<u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 316/2020 जिला टोंक

गौरीशंकर पारीक पुत्र जगदीश नारायण जाति ब्राहमण आयु 55 वर्ष निवासी करबा टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान।

—अपीलांट

बनाम्

1. राधा चौधरी पत्नि कन्हैयालाल चौधरी जाति जाट उम्र 40 साल निवासी जयपुर रोड़ कस्बा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।

2. तहसीलदार साहब टोडारायसिंह जिला टोंक।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह पत्रावली संख्या 507/2013 उनवानी राधा देवी बनाम तहसीलदार टोडारायसिंह आवेदन अ0 धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित अभिभाषकः—श्री मनीष कासनीवाल (अपीलांट अभि0)

रेस्पोडेंट अभिभाषकः—अनुपस्थित

राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः—17.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट 1 राधा चौधरी पत्नि कन्हैयालाल चौधरी निवासी टोडारायसिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय टोडारायसिंह के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत किया था। जिसमें विवादित खसरा नम्बर 3290 रकबा 0.08 हे0 खसरा नम्बर 3291 रकबा 2.85 हे0 ग्राम टोडारायसिंह को राधादेवी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से गोपीनाथ ,दौलतराम, ओमप्रकाश, महेशप्रकाश पुत्र गोपालदास, चन्द्रप्रकाश दिनेशप्रकाश, सुरेश प्रकाश, अनिल कुमार, निर्मल कुमार पुत्र गोविन्ददास, श्याणी बेवा गोविन्ददास, रूकमणीदेवी, सुनिता देवी पुत्रिया गोविन्ददास जाति महाजन निवासी टोडारायसिंह से खरीद किया था। इनके साबिक खसरा नम्बर 3192, 3199/2, 3191/4115, 3191/4517 कुल किता 4 रकबा 1.26 हे0 होकर मौके पर एक ही खेत के रूप में थे तथा चारो ओर मेड़ पड़ी हुई थी। सैटलमेंट से पूर्व नक्शाट्रेस में जो साबिक खसरा नम्बरों की तरमीम थी, वह एक ही जगह थी। साबिक खसरा नम्बरों की तरमीम को लाल रंग से ए टू बी व सी टू डी के माध्यम से लाल रंग से दर्शाया है। वर्तमान में भी खेत इसी जगह बने हुए है तथा रकबा भी सैटलमेंट से पूर्व जमाबंदी के अनुसार वर्तमान जमाबंदी में समान ही है। मगर तरमीम अन्य जगह कर दी गई है। खेत जहां पर खसरा नम्बर 3291 की तरमीम की जानी थी, वहां न की जाकर नवीन खसरा नम्बर 3292 की तरमीम कर दी गयी है और खसरा नम्बर 3292 को चारागाह में दर्ज कर दिया है। खसरा नम्बर 3291 व 3290 की तरमीम इस जगह की जानी चाहिए। इस स्थान पर जो खसरा नम्बर 3292 तरमीम कर दर्शाया गया है। उसे दूसरी जगह दिया जाना चाहिए। प्रार्थिया को गलत तरमीम की वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और अंत मे निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 3191/4517 हाल खसरा नम्बर 3291 रकबा 2.85 हे0, 3290 रकबा 0.01 हे0 व ग्राम टोडारायसिंह तरमीम जो वर्तमान में हो चुकी है। उसे दुरूस्त किया जायें और वर्तमान खसरा नम्बरों में 3291 व 3290 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:20 IST
Reason: SelfAttested

तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये गये ए टू बी व सी टू डी के अनुसार अंकित किया जाये। इस जगह पर जो नम्बर अंकित किये उसमें अन्यत्र शिफट किया जाये। तहसीलदार टोडारायसिंह से जवाब लिया जाकर उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 30.06.2014 को रेस्पोडेंट नम्बर 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। जिसका क्रियात्मक भाग इस प्रकार से है **''आराजी खसरा नम्बर 3292 की तरमीम मौका रिपोर्ट तहसीदार टोडारायसिंह दिनांक 03.02.2013 में प्रस्तावित तरमीम लाल स्याही के अनुसार खसरा नम्बर 3291 में सम्मिलित किया जायें तथा खसरा नम्बर 3292 व 3291 का दक्षिणी ओर का हिस्सा शीट में खसरा नम्बर 3292 के रूप में दर्ज किया जायें। उक्तानुसार शीट में तरमीम दुरूस्त की जायें।''**

चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया था। जानकारी प्राप्त होते ही अपीलांट की ओर से अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है–

1. धारा 136 के अन्तर्गत केवल तकनिकी या लिपीकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है।

2. सैटलमेंट विभाग की शीट एवं उसके द्वारा बनाये गये मिलान क्षेत्रफल को दुरूस्त करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है।

3. सैटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 3290 को 3191 मीन से बनना बताया है।

4. चारागाह भूमि आरटीए की धारा 16 के तहत आती है। ऐसी भूमि पर किसी को खातेदारी नही दी जा सकती है। अपील स्वीकार की जायें तथा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 30.06.2014 को अपास्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट प्रार्थी द्वारा कहा गया है कि उसे रेस्पोडेंट 1 द्वारा` उक्त निर्णय की आड़ में मौके की स्थिति को परिवर्तन करने पर हुई। उसके बाद अपीलांट ने उक्त निर्णय की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया और नकल प्राप्त कर आज जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 06.08.2020 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील जानकारी दिनांक से अंदर मियाद शुमार की जाती है।

बहस सुनी गई। दौराने अपील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वे न्यायालय आरएए टोंक की पत्रावली गोपीनाथ बनाम सरकार की प्रकरण संख्या 96/2002 की आदेशिका निर्णय दिनांक 27.12.2007 तथा अपील मीमो की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना चाहते है। उक्त दस्तावेज न्यायालय की प्रमाणित प्रतियां है। जिनके असत्य होने का प्रश्न पैदा नही होता है। अतः उक्त दस्तावेजात को रिकोर्ड पर लेकर सक्ष्य में लिये जाने के आदेश प्रदान किये जायें। दिनांक 21.10.2022 को वकील रेस्पोडेंट की सहमति के बाद अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित आये वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहे। बहस में अपीलांट अभिभाषक ने बताया कि धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट को लाभ दिया गया है। जबकि कोई अधिकार नही दिये जा सकते है। उक्त धारा में से प्रविष्टि

की शुद्धि ही की जा सकती है। रेस्पोडेंट द्वारा क्रय की गयी, भूमि को अन्य जगह चारागाह में तरमीम की गई है। चारागाह से जुड़ी हुई हमारी भूमि है। हम व्यथित पक्षकार है। निर्माण कार्य करने पर पता चला मूल वाद एस0डी0ओ0द्वारा खारिज किया हुआ है। आरएए में भी खारिज किया जा चुका है। रेस जुड़ी डेटा लागू हो चुका है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी में सपठित धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार चारागाह भूमि में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट की भूमि भी चारागाह के निकट स्थित है। जिसमें अपीलांट के मवेशी चरते है एवं अपीलांट की खातेदारी की भूमि का रास्ता भी इसी भूमि में से होकर जाता है। अपीलांट के हित प्रभावित है तथा वे व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते है। अतः उसे अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, जहां तक रास्ते बाबत अपीलांट द्वारा बताया गया है कि इसी भूमि से होकर उसके खेत पर जाया जाता है। जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम टोडारायसिंह खाता संख्या नया 387 एवं 386 के अनुसार अपीलांट के नाम खाता संख्या 387 में सहखातेदारी में खसरा नम्बर 3296,3297,3298,3299,3300,3301 एवं अकेले की खातेदारी खाता संख्या 386 में खसरा नम्बर 3329 और 3302 है। प्रार्थीया को चारागाह भूमि की खातेदारी दिये जाने से अपीलांट के हित प्रभावित हुए है। अतः अपीलांट व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी, सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

जमाबंदी संवत 2065–68 ग्राम टोडारायसिंह के खाता संख्या 1619 नया के अनुसार खसरा नम्बर 3292 का रकबा 0.8600 होकर किश्म भूमि चारागाह अंकित है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.06.2014 से खसरा नम्बर 3292 की तरमीम वर्तमान शीट में दर्शायी गयी है। उसे साबिक शीट के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित माना है तथा खसरा नम्बर 3292, 3170 साबिक खसरा नम्बर से बनना बताकर गलत रूप से चारागाह में दर्ज करने बाबत पैरोकार सरकार की रिपोर्ट से सहमति जतायी है तथा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उक्त तरमीम बाबत किये गये आदेश से खसरा नम्बर 3292 रेस्पोडेंट की खातेदारी में शुमार हो गया है। जो कि उचित नहीं है। क्योंकि खसरा नम्बर 3292 चारागाह भूमि है और ऐसी भूमि बाबत कोई खातेदारी अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकते है। क्योकि ऐसी भूमियां आरटीए की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में शामिल है। इसी भूमि बाबत न्यायालय आरएए टोंक के प्रकरण संख्या 96/2002 गोपीनाथ एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर टोंक एवं अन्य में निर्णय दिनांक 27.12.2007 को अपीलांटगण की अपील को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया गया था कि खसरा नम्बर 3292 रकबा 0.86 हे0 खसरा नम्बर 3170 से बना है। जो पूर्व सैटलमेंट से पूर्व का साबिक नम्बर है। इसके लिये न तो दावा है न ही अपीलांट की कभी खातेदारी में रहा है। न्यायालय वकील अपीलांट की इस बात से सहमत है कि धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र से मात्र लिपीकीय त्रुटियों को सुधार किया जा सकता है। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी को खातेदारी अन्य खसरा नम्बर की नहीं दी जा सकती है। जो कि चारागाह में दर्ज है। समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र में गलत रूप से रेस्पोडेंट को चारागाह खसरा नम्बर 3292 बाबत अधिकार दिये है। जो अपास्त होने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:20 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह प्रकरण संख्या 507/2013 उनवानी राधादेवी बनाम तहसीलदार टोडारायसिंह अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट निर्णय दिनांक 30.06.2014 को निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:20 IST
Reason: SelfAttested